न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00113 **दायरा दिनांक : 05.10.2020**

उनवान

1. नानूराम आत्मज उदा, जाति कुम्हार (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1/1 जगन्नाथ पुत्र नानूराम, जाति कुम्हार
1/2 शिवनारायण पुत्र नानूराम, जाति कुम्हार
निवासीगण ग्राम सूलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1. काना आत्मज किशन, जाति कुम्हार
2. रामनारायण आत्मज भैरू, जाति कुम्हार
3. देवलाल आत्मज भैरू, जाति कुम्हार (मृतक) कायम मुकामान :–
3/1. कृष्णा पत्नी देवलाल, जाति कुम्हार
3/2. अरूण पुत्र देवलाल, जाति कुम्हार
3/3. रोहित पुत्र देवलाल, जाति कुम्हार
3/4. ज्योति आयु 14 वर्ष, पुत्री देवलाल, जाति कुम्हार, नाबालिग जर्ये वली माता श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी देवलाल
4. फूल बाई बेवा भैरू, जाति कुम्हार (आदेश दिनांक 07.05.2024 से नाम डिलीट)
5. मांगीलाल आत्मज किशन, जाति कुम्हार
अकवाम निवासीगण ग्राम सूलिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दयाराम सेन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 41/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सूलिया, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नं. 60 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 61 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 63 रकबा 1 बिस्वा चाह, खसरा नं. 64 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 361 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 416 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा कुल 7 किता कुल रकबा 12 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2016 से पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक राजीनामा दिनांक 30.06.2016 के आधार पर प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प सूलिया पर करने में त्रुटि की है। पक्षकारान ने मौके पर अपने कब्जे व रिकार्ड के मुताबिक भूमि को पृथक कराने बाबत राजीनामा पेश किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा पर उचित गौर नहीं फरमाकर राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, राजीनामे में लिखा हुआ है कि 'ग्राम सूलिया की जमाबन्दी खसरा संख्या 62 से 65 खाता संख्या 259 किता 7 रकबा 12 बीघा में वादी को 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्जे अनुसार दे दी जावे तथा चाह शामलाती में रहेगी व रास्ता भी सभी का रहेगा। विवादित आराजी के खाते के कुल 7 खसरा है राजीनामे में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि वादी के कौनसे खसरा नम्बर की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्जे काश्त में रहेगी एवं किस खसरा नम्बर में होकर रस्ता रहेगा और इसी कारण सन् 2016 से आज तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक विवादित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के शामलाती खाते में ही चली आ रही है मुताबिक राजीनामा कोई बंटवारा नहीं हो सका और अवैधानिक आदेश के कारण ही मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुयी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्ट आदेश नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। पक्षकार काश्तकार व्यक्ति है, अनपढ है, पूर्व कब्जे के मुताबिक बंटवारा करवाने के लिये अपीलान्ट सहमत हो गये थे परन्तु राजीनामा व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2016 में स्पष्ट खसरा नम्बर का अंकन नहीं होने के कारण कि किस पक्षकार के कौनसे खसरा नम्बर की आराजी रहेगी। यह विवाद का विषय बन गया है, प्रतिपक्षी ने दिनांक 24.09.2010 को मौके पर बहुत झगडा करने की कोशिश की तब अपीलान्ट ने जिला अभिलेखागार कोटा से नकल प्राप्त की तो सारी जानकारी हुयी कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ही अस्पष्ट है। पूर्व कब्जे के मुताबिक पक्षकारान का मौके पर बंटवारा हो रहा है परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी के मन में बदनियती आ जाने के कारण उसने जान बूझकर अपीलान्ट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व बंटवारे के मुताबिक खसरा नम्बर 62, 63 के उत्तर–पूर्वी कोने पर कुआं बना हुआ है एवं खसरा नम्बर 64 में होकर खसरा नम्बर 62, 63 में कुएँ की मेड पर होते हुए खसरा नम्बर 60 में अपीलान्ट आते जाते है, परन्तु राजीनामा अस्पष्ट होने के कारण मौके पर रकबा भी बराबर नहीं हो सका और जान बूझकर वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने आज तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना नहीं करवायी एवं आदेश व राजीनामा अस्पष्ट होने के कारण पालना भी नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 30.06.2016 एवं अवैधानिक राजीनामा दिनांक 30.06.2016 के आधार पर पारित आदेश व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व राजीनामा अवैधानिक है जो सी. पी. सी. के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है, बंटवारे, रास्ते, व चाह के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये था और वादी ने भी जान बूझकर राजीनामे में अपने कब्जे की आराजी का स्पष्ट खसरा नम्बर नहीं खोला और अनावश्यक विवाद मौके पर कर रखा है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं राजीनामा दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30.06.2016 को अवैधानिक करार देते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड किया जावे कि वह प्रकरण में दावा व जवाब दावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत प्रकरण में मुताबिक रिकोर्ड विधिवत रूप से बंटवारे बाबत, चाह बाबत एवं रास्ते बाबत स्पष्ट निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.09.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.06.2010 के अनुसार पत्रावली तलबी में थी, सीधे कैम्प में रखकर राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में किस तरफ की कौनसी आराजी दी जाये इसका स्पष्ट अंकन नहीं है। राजीनामा वैध नहीं है क्योंकि किसे कौनसी आराजी दी गई इसका स्पष्ट अंकन नहीं है। अस्पष्ट होने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने डिक्री की पालना करने से इंकार कर दिया। अपीलांट ने पालना नहीं होने के कारण अपील की है और वादी रेस्पोडेंट ने भी अधीनस्थ न्यायालय में नया दावा पेश कर दिया है जिसकी प्रति आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश की हे। अतः अपील रिमाण्ड की जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 966 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान ने मौके पर अपने कब्जे व रिकॉर्ड के मुताबिक भूमि को पृथक कराने बाबत राजीनामा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, राजीनामे में लिखा हुआ है कि "ग्राम सूलिया की जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 खाता संख्या 259 किता 7 रकबा 12 बीघा में वादी को 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्जे अनुसार दे दी जावे तथा चाह शामलाती में रहेगी व रास्ता भी सभी का रहेगा।"

कब्जे के मुताबिक बंटवारा करवाने के लिए अपीलांट सहमत हो गये थे परन्तु राजीनामा व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2016 में खसरा नम्बर का स्पष्ट अंकन नहीं होने के कारण किस पक्षकार को कौनसे खसरा नम्बर की आराजी दी जाएगी, यह विवाद का विषय बन गया है। वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने आज तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना नहीं करवायी एवं आदेश व राजीनामा अस्पष्ट होने के कारण पालना भी नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश व डिक्री दिनांक 30.06.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय को विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री में वादी के कब्जे में रही विवादित आराजी के खसरा नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए थी। अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया है कि खसरा नम्बर की अस्पष्टता के कारण निर्णय व डिक्री की पालना नहीं हो पायी है। साथ ही अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 5 द्वारा पुनः धारा 53, 88, 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत करना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय वादपत्र की प्रमाणित छाया प्रति पेश की है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वाद की बहुलता को समाप्त करने हेतु अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 अपास्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय वाद संख्या 99/2020 बउनवान मांगीलाल बनाम जगन्नाथ वगैरहा को इस दावे के साथ कन्सोलीडेट करते हुए उभयपक्षकारान कब्जे के अनुसार बंटवारा कराने हेतु सहमत हो तो उनसे कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन कराते हुए पुनः राजीनामा प्राप्त कर, प्राप्त राजीनामे को विधिवत तस्दीक करने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पश्चात पुनः नये सिरे से विधिवत व स्पष्ट रूपसे खसरा नम्बर का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान कब्जे के अनुसार सहीनामा प्रस्तुत करने में असहमत होने की स्थिति में उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत तनकीवार निर्णय पारित किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा